भारत/रक्षित वाहिनी

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
नया रायपुर–492002

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ पुलिस दूरसंचार बल आरक्षक संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर भर्ती नियम के संबंध में प्राप्त आवश्यक दिशा निर्देश एवं परिपत्रों के अनुसार

भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु गठित भारत रक्षित वाहिनियों में आरक्षक (दूरसंचार) संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भारत के स्थानीय निवासी पुरूष/महिला उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर दिनांक 15/05/2018 से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

01. आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 15/05/2018
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि– 14/06/2018 (समय 23:59 बजे तक)

02. परीक्षा स्थल – परीक्षा स्थल एवं अन्य कार्यक्रमों की जानकारी पुलिस विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

03. परीक्षा शुल्क– सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग– रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र)
अजा एवं अजजा वर्ग – रूपये 125/– (रू. एक सौ पच्चीस मात्र)

01. **रिक्त पदों की संख्या** :– चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाये अनुसार है। अंतिम चयन के समय वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

सक्र	पदनाम	रिक्त पदों की वर्गवार संख्या				
		अनारक्षित	अपिव	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग
01	आरक्षक (दूरसंचार)	25	08	08	20	61

02. **आरक्षण** :– भर्ती में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण संबंधी नियम लागू होंगे।

03. **वेतनमान** :– आरक्षक (दूरसंचारं) संवर्ग हेतु सातवें वेतनमान के अनुसार मेट्रिक्स लेवल 4 में उल्लेखित वेतनमान रूपये 19500–62000 एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत देय भत्ते।

04. **सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्ते** :– अभ्यर्थियों को पात्रता के लिये निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करना होगा, अर्थात् –

(1) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
(2) आवेदक को निवास का प्रमाण पत्र (मूल निवासी का स्थायी प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
(3) अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिए।

05. आयु :–

1. अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2018 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों के लिए उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
3. महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
4. इसके अतिरिक्त शासन के निर्देशानुसार छ.ग. शासन के कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/नगर सैनिक/शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों को भी उच्चतर आयुसीमा में छूट प्रदान की जावेगी।

06. शारीरिक अर्हता–

(क) **ऊँचाई** – विभिन्न वर्गों के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों लिए न्यूनतम ऊँचाई निम्नानुसार होना आवश्यक है:–

जाति / वर्ग	पुरूष	रिमार्क	महिला	रिमार्क
सामान्य	168 से.मी.	–	153 से.मी.	–
अपिव	168 से.मी.	–	153 से.मी.	–
अजा	168 से.मी.	–	153 से.मी.	–
अजजा	153 से.मी.	छ.ग.राज्य के जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर एवं जशपुर के अभ्यर्थियों के लिए।	153 से.मी.	–
	158 से.मी.	छ.ग.राज्य के शेष राजस्व जिलों एवं भारत के अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए	153 से.मी.	–

(ख) **सीना** – सामान्य एवं अ.पि.व. वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सीना का नाप बिना फुलाये 81 से.मी. तथा अजा एवं अजजा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाये 76 से.मी. होना आवश्यक है। सभी वर्ग के अभ्यर्थी का सीना बिना फुलाये एवं फुलाने में कम से कम 5 से. मी. का अंतर होना आवश्यक है। इस संबंध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी।

नोट :– महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त रहेंगी।

(ग) तृतीय लिंग (थर्ड जेण्डर) वर्ग के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उनके द्वारा जिस वर्ग (पुरूष अथवा महिला) के पद के लिए आवेदन किया जायेगा, उस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अनुसार शर्ते, पात्रता, अर्हतायें एवं मापदण्ड लागू होगा।

नोट :– अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग, नाकनी, फ्लेट–फुट नही होना चाहिए। उम्मीदवार को ऑखों से संबंधित कोई रोग नही होना चाहिए। ऑखों की दृष्टि बिना चश्में के एक ऑख की 6 / 9 एवं दूसरी ऑख की बिना चश्में के 6 / 12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने की सक्षमता होना चाहिए। अभ्यर्थी में कोई भी वाणी दोष जैसे हकलाहट या तोतलापन या मूकबधिर नहीं होना चाहिए तथा सुनने की क्षमता उत्तम होना चाहिए। ऊँचाई एवं सीने की नापतौल में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

07. शैक्षणिक योग्यता –

आरक्षक (दूरसंचार)– 10+2 प्रणाली में 12वीं बोर्ड अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (भौतिक, रसायन एवं गणित विषय के साथ) मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए।

नोट :– 1. निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को पूर्ण होना चाहिए ।
2. अभ्यर्थी के पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
3. अभ्यर्थी को शारीरिक नापजोख के समय अपने शैक्षणिक अर्हताएं संबंधी समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति प्रस्तुत करने के साथ–साथ अन्य वांछनीय प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।

08. चयन प्रकिया

– चयन प्रकिया विभिन्न चरणों में संपादित की जावेगी जिसमें प्रमाण पत्रों का परीक्षण, शारीरिक नॉपतोल, शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा सम्मिलित है।

01. शारीरिक दक्षता परीक्षा – शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) में निम्नानुसार स्पर्धाऐं होगी, जो केवल क्वालीफाईंग होगी :–

स.क्र.	पुरूषों के लिये निर्धारित समयावधि	महिलाओं के लिये निर्धारित समयावधि
1.	1500 मी. दौड़ – 05 मिनट 40 सेकंड तक	800 मी. दौड़ – 03 मिनट 20 सेकंड तक

ये स्पर्धाऐं क्वालीफाईंग होगी। उपरोक्त स्पर्धाओं में क्वालीफाई न करने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जावेगा, जिन्हे अग्रिम स्तर की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

(अ) आरक्षक(दूरसंचार) पद के लिये लिखित परीक्षा निम्न प्रकार होगीः–

(1) अंग्रेजी में डिक्टेशन और हैंण्डराईटिंग टेस्ट – 25 अंक

(2) गणित, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान – 75 अंक

बोनस अंक :– नीचे उल्लेखित शीर्ष के अधीन विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 05 अंक निर्धारित है। बोनस अंक की अधिकतम सीमा 05 अंक होगा।

(1) मोटर वाहन चालन का हैवी लाईसेंसधारी को पात्रता होगी।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रवीणता, (केवल वे राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है।) को ही पात्रता होगी।

(3) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण–पत्र धारी को पात्रता होगी।

नोट :–

1. प्रस्तावित भर्ती कार्यक्रम एवं अन्य विवरण का अवलोकन विभागीय वेब साईट www.cgpolice.gov.in पर किया जा सकता है।

09. यात्रा किराया :–

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शासन के आदेशानुसार निवास स्थान से भर्ती स्थल तक का मूल यात्रा टिकट प्रस्तुत करने पर वास्तविक किराया दिया जावेगा।

14/05

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार)
हेतु–पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़ रायपुर